

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 625 / कानपुर/ 34211/2018, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर १९ , 2018
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल,
कानपुर।

विषय : कानपुर में उ0प्र0 जल निगम द्वारा विधुना कैनाल से घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट तक पानी ले जाने हेतु एन0एच0—86 के किनारे किमी0 20.800 से 61.900 तक पाइप लाईन डालने हेतु 14.385 हेठ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1258 वृक्षों एवं 1428 ब्रिकगार्ड पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक—897 / 14—1, दिनांक 14.09.2018
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दि0 11.09.18 द्वारा इंगित सूचनाओं का निराकरण कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त के अवलोकन से विदित होता है कि क्षतिपूरक वनीकरण की Kml file में प्रदर्शित हो रहे चयनित स्थल के क्षेत्रफल को संशोधित नहीं किया गया है। Kml file में प्रदर्शित हो रहे 43.5 हेठ को प्रभागीय निदेशक, कानपुर द्वारा संशोधित कर 28.770 हेठ नहीं किया गया है।

अतः क्षतिपूरक वनीकरण की Kml file में प्रदर्शित हो रहे 43.5 हेठ को संशोधित कराकर 28.770 हेठ कर, उक्त स्थल को सर्वे आफ इंडिया की मूल टोपोशीट में चिन्हित कर, उक्त स्थल का डिजिटल मानचित्र एवं Kml file ऑनलाइन अपलोड कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय,

१९४५
(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 625 / उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, साठवा० प्रभाग, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की प्रतियों इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव शीघ्रतिशीघ्र अपने मुख्य वन संरक्षक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि श्री धर्मन्द्र कुमार, परियोजना प्रबन्धक, (निर्माण इकाई), उ०प्र० जल निगम, घाटमपुर कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचनायें/अभिलेख प्रभागीय निदेशक, कानपुर को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

१९४५

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।